

**VIDHAN SABHA MATTER**  
**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**  
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**  
**5<sup>TH</sup> LEVEL "B" WING**

**DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI-110002**

F.No.11(73)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.209/2019/11119-11120 Date- 23/08/2019

To,

The Dy. Secretary,  
Question Branch,  
Delhi Legislative Assembly,  
Question Branch, Old Secretariat,  
New Delhi-110054.

**Sub:- Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 209  
raised by Sh. Pankaj Pushkar Hon'ble MLA for dated 26.08.2019.**

Sir,

Kindly refer to your letter No.F.11(B-1)VI/2015-20/VSS/Question Branch/2323 dated-16.08.2019 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

23/08/19  
**Dy. Secretary (PWD/VS)**

F.No.11(73)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.209/2019/11119-11120 Date- 23/08/2019

Copy for information to:-

OSD to Hon'ble Minister (PWD)

23/08/19  
**Dy. Secretary (PWD/VS)**



विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार  
 विभाग का पता :- 5वॉ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,  
 इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या: 209


दिनांक: 26.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री पंकज पुष्कर

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र०स०.	प्रश्न	उत्तर
क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली सड़कें कौन-कौन सी हैं;	जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिल्ली नगर निगम के पास है। लोक निर्माण विभाग के पास पूर्ण स्वामित्व वाली सड़कें शून्य हैं। दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 298 के अनुसार (प्रतिलिपि संलग्न) सभी सड़कों का स्वामित्व दिल्ली नगर निगम के पास है।
ख	सभी सड़कों का लम्बाई सहित पूर्ण विवरण दें;	उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं।
ग	क्या लोक निर्माण विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली सड़कों पर भी नगर निगम बिना किसी पूर्व अनुमति के होर्डिंग, यूनिपोल एवं तहबजारी लगा सकता है;	दिल्ली नगर निगम एक्ट की (धारा 142, 143) के अनुसार दिल्ली महानगर क्षेत्र की सभी सड़कों पर नगर निगम के पास बिना पूर्व अनुमति के होर्डिंग, यूनिपोल एवं तहबजारी के अधिकार प्राप्त है।
घ	यदि हाँ तो किस नियम के अन्तर्गत, आदेश की प्रति सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं; और	दिल्ली नगर निगम एक्ट की प्रति वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा इस प्रश्न से संबंधित प्रति संलग्न की जा रही है।
ड.	लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भूखण्ड तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र संख्या-3 में कौन-कौन से हैं, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?	तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र संख्या-3 में लोक निर्माण विभाग के पास पूर्ण स्वामित्व वाला कोई भी भूखण्ड नहीं है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

  
22-8-19

(ए.एल मदान)

उप सचिव, (लो0नि0वि0)

उप सचिव/Deputy Secretary  
 लोक निर्माण विभाग/Public Works Department  
 दिल्ली सचिवालय, दिल्ली/Delhi Secretariat, Delhi